(डी/१९८)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 97/सेक/ए आर/45/87 | नई दिल्ली, दि 21-7-97

स्थायी आदेश सं. 29

सब मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब. सब भारतीय रेलें

विषय : अवांछित तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई।

जैसा कि लक्ष्य में परिभाषित है आर पी एफ के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक है यात्री संरक्षा और सुरक्षा में मदद देने के लिए गाड़ियों और रेल परिसरों से असामाजिक तत्वों को हटाना। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे तत्व राजस्व को हानि पहुंचाने के साथ-साथ यात्री जनता को असुविधा पहुंचाते है और इसके फलस्वरुप भारतीय रेलवे की ख्याति को धक्का लगता है। मई, 1997 में आयोजित, मुख्य सुरक्षा आयुक्तों के सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि आर पी एफ ऐसे अवांछित तत्वों के विरुद्ध एक संगठित अभियान चलाएगा, जी आर पी, रेलवे वाणिज्य विभाग और आर पी एफ से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने प्रचालन और उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में इन तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करें। तथापि प्राधिकारियों की बहुलता और समन्वय के अभाव के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है और यह न्यूसेन्स बेदस्तूर कायम है। दलालों, जगह घेरने वालों, हीजड़ों, भिखमंगों, अनधिकृत कुलियों, अनिधकृत खोमचे वालों और महिला और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रुप से घुसने वालों अवांछित तत्वों की न्यूसेन्स को समाप्त करने में आर पी एफ को मुख्य और सक्रिय भूमिका अदा करनी है। उपर्युक्त वर्णित कोटियों के व्यक्ति यात्रियों के लिए न्यूसेन्स ही पैदा नहीं कर रहे है बल्कि अपराधों में भी अन्तर्ग्रस्त होते है। प्लेट फार्मों और गाड़ियों में बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है जो रेलों पर अपराधों की वृद्धि में सहायक है। आर पी एफ का यह एकमात्र दायित्व है कि रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों से इन अवांछित तत्वों को हटाएं। आर पी एफ, रेलवे के वाणिज्य विभाग, जी आर पी, स्थानीय पुलिस या यातायात पुलिस से जैसे और जब जरुरी हो सहायता ले सकता है।

2 इस न्यूसेन्स का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, रेलवे वाणिज्य, आर पी एफ और जी आर पी से अधिकारियों की संयुक्त टीमों का गठन किया जाए। ऐसी संयुक्त टीमें चौकी स्तर, मंडल स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर काम करेगी।

3. क्षेत्रीय टीम में अपर/उप मु.स.अ. और रेलवे वाणिज्य और जी आर पी के समकक्ष स्तर के अधिकारी होगे। यह टीम प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करेगी और मंडल और चौकी स्तर टीमों को कार्य प्रदान करेंगी व की गई कार्रवाई और लक्ष्यों में कमियों को मानीटर भी करेंगी। क्षेत्र में क्रियान्वयन का मूल्याकंन करने के लिए क्षेत्रीय टीमें अचानक जांचे भी करेंगी। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय टीमों की त्रैमासिक बैठक होगी और कार्यवृत्त लिपिबद्ध किया जाएगा।

4. मंडल टीम में डी एस सी/आर पी एफ, एस आर पी और मंडल वाणिज्य प्रबन्धक होगा। वे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेंगे जहां कार्यवाही संकेद्रित की जानी है। चौकी स्तर टीमों की कार्यवाही मानीटर करने के साथ-साथ, न्यूसेन्स हटाने के लिए वे स्वयं भी छापे मारेंगे। तथापि जब देखा जाता है कि चौकी कार्यवाही करने में अपेक्षा बरत रही है, तो उनसे उसके लिए कारण पूछा जाए। मंडल टीम निर्बाधन कार्यक्रम तैयार करने के लिए और गत बैठकों में नियत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मासिक बैठकें रखेगी।

5. चौकी स्तरीय टीम में प्रभारी आर पी एफ चौकी, एस ओ, जी आर पी और स्टेशन अधीक्षक होंगे। वे प्लेटफार्मों, रेलवे स्टेशन के अन्दर और बाहर परिचालन क्षेत्र की ओर महत्वपूर्ण गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के समय पर बारबार गश्त करेंगे/रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए वे यातायात/स्थानीय पुलिस से एक अधिकारी को भी वहयोजित कर सकते है।

6 जहां बड़े पैमाने पर प्रतिरोध की संभावना हो वहां आरक्षित राज्य पुलिस की आरक्षी पुलिस फोर्स के साथ आर पी एस एफ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि लगातार दबाव आर पी एफ चौकी, स्टेशन अधीक्षक और जी आर पी स्टाफ को ही बनाए रखना होगा ताकि अवांछित तत्व वापस न आएं। आरंभ में इसे क्षेत्रीय और मंडल टीमें भी सावधानीपूर्वक मानीटर करेंगे ताकि स्थानीय अधिकारियों के निहित स्वार्थो के कारण कुछ समय के बाद ऐसी न्यूसेन्स की वापसी को रोका जा सके। इन अभियानों के लिए आर पी एफ समन्वय एजेन्सी के रुप में कार्य करेगा।

7. इस स्थायी आदेश का हिंदी रुपातंर बाद में भेजा जाएगा। स्थायी आदेश का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराकर चौकियों/सीमा चौकियों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए भेजा जाए। हाज़िरी लेते समय/परेड के दौरान आर पी एफ कर्मचायिों को इस स्थायी आदेश की विषय वस्तु, की संक्षिप्त जानकारी दी जाए।

ए.पी. दुराय
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि :
सब रेलों के महाप्रबंधक